प्रेस नोट **दिनांक 31.01.2026**

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 28.05.2026 को क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ढोलवन में रामजन्म राजभर पुत्र स्व0 शिवपाल राजभर, निवासी ग्राम ढोलबन थाना हलधरपुर जनपद मऊ,की हत्या का किया गया खुलासा-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी पाण्डेय के नेतृत्वे में विशेष टीमों का गठन कर लगातार सुरागरसी पतारसी, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया

दिनांक 31.05.2026 को भीमपुरा तिराहे से इटैली कन्सों की ओर जाने वाले मार्ग से 01 अभियुक्त रामबदन यादव पुत्र बेचन यादव निवासी ढ़ोलवन थाना हलधरपुर जनपद मऊ गिरफ्तार किया गया

पूछ-ताछ में बताया की साहब, मै ग्राम ढ़ोलवन का प्रधान हूँ। हमारे गांव का रामजन्म राजभर काफी दिनों से हमारे पीछे पड़ा हुआ था, और मेरे द्वारा ग्राम प्रधानी मे कराये जा रहे कार्य मे अक्सर अवरोध उत्पन्न करता था, तथा आये दिन हमारे खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर ब्लॉक चाहे थाने से जाँच कराने में लगा रहता था। मै उनसे आजीज आ गया था। हमारे परिवार खानदान का लड़का अवनीश यादव उर्फ टीपू जो काफी मनबढ है, एक दिन बोला कि चाचा रामजन्मवा का कुछ करना पड़ेगा। यह हम लोगो को भी परेशान कर रहा है तो हमने कहा कि बात तो सही कह रहे हो। देख लो जो हमसे मदद चाहोगे मै कर दूंगा। अवनीश यादव उर्फ टीपू का दोस्त कोई शिव शंकर यादव मझौली का है। अवनीश यादव उर्फ टीपू नें शिवशंकर यादव से बात चीत किया। रामजन्म राजभर हलधरपुर बाजार से अक्सर देर शांम से घर आते थे। घटना के कुछ दिन पूर्व से अवनीश यादव उर्फ टीपू अपने साथ के कुछ लडको को रामजन्म की रैकी पर लगा दिया था।

दिनांक 28.05.2026 को शामं के समय रामजन्म हलधरपुर की तरफ साईकिल से पीछे गठरी बाँधकर लेकर गये थे और घर पर लौटते समय रात्रि करीब 09.00 बजें अवनीश यादव उर्फ टीपू अथवा शिवशंकर यादव स्वयं अथवा अपने गैंग के किसी सदस्य से रामजन्म को गोली मरवाकर उसकी हत्या कर दिये। घटना के समय मै अपने घर पर मौजूद था। मै रामजन्म से तंग आ गया था। यह कहते हुए बार बार अपनी गलती की माफी मांग रहा था

अभियुक्त के विरुद्ध थाना हलधरपुर में मु0अ0सं0 105/2026 धारा 3(5),103(1),61(2),351(3), बी.एन.एस अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी/ बरामदगी हेतु पुलिस टीमों द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः–

1. रामबदन यादव पुत्र बेचन यादव निवासी ढ़ोलवन थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 53 वर्ष।

घटना का दिनांक व समय –

28.05.2026 समय 21.00 बजे

अभियुक्त गिरफ्तार समय व स्थान –

दिनांक 31.05.2026 को समय 03.40 बजें भीमपुरा तिराहे से इटैली कन्सों की ओर जाने वाले मार्ग से

पुलिस का संदेशः-

पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स की नीति पर कार्यरत है। आमजन से अपील है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। संपर्क नंबर: 112 या स्थानीय थाना।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। जिसमें

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 107/2026 धारा 331(4)/305(a) बी.एन.एस. से संबंधित अभियुक्त जोगिन्द्र चौहान उर्फ जोगी पुत्र विशुनी चौहान निवासी खराड़गाड़ी थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 61 वर्ष। को खालिसपुर के पास से गिरफ्तार किया गया जो दिनांक 28.05.2026 को दिन में ग्राम गड़वा स्थित दुर्गा मन्दिर में मैं सोया था। और शाम के सुनसान वक्त देखकर मन्दिर से आभूषण चोरी कर लिया था। उसके कब्जे चोरी किये हुए पीले धातु के तीन अदद टुकडे बरामद कर चालान मा0 न्यायालय किया गया। तथा उक्त प्रकरण में धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

जनपद पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अभियान लगातार जारी है।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना घोसी की साइबर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 03 पीड़ितों की कुल 6,93,575/-(छः लाख तिरानवे हजार पांच सौ पचहत्तर) रुपये धनराशि वापस कराई गई -

विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त साइबर फ्रॉड की शिकायतों के आधार पर साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर पोर्टल पर तत्काल कार्रवाई की गई

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत जनपद के थाना घोसी द्वारा कुल 03 पीड़ित 1. विनोद पुत्र दयानन्द निवासी गोफा थाना घोसी जनपद मऊ को 5,81,575/- रुपये की धनराशि, 2. रामदेव प्रसाद निवासी मोहम्मदपुर उर्फ काजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ को 70,000/- रपये, 3. कल्पनाथ सिंह पुत्र राम अवतार सिंह निवासी जमालपुर मिर्जापुर थाना घोसी जनपद मऊ को 42000/- उनके खाते में वापस कराया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेस नोट

31/05/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 31.05.2026 को मु0अ0सं0 92/2026 धारा 318(4), 352, 351(3), 338, 340(2) BNS मे वांछित अभियुक्त अंकित बर्नवाल पुत्र दयानन्द बर्नवाल निवासी

भीमहर थाना हलधरपुर जनपद मऊ को साहूपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

2. थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा दिनांक 31.05.2026 को मु0अ0स0 53/26 धारा 137(2), 87, 351(2), 65(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट में वाछित अभियुक्त मोनू पुत्र सुरेश निवासी मीरपुर थाना बहरियाबाद थाना जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
3. थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त 1. रामानन्द पुत्र पतिराम सा0 डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, 2. सत्यदेव पुत्र पतिराम निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

जनपद पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अभियान लगातार जारी है।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 31.05.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 35 टीम गठित कर जनपद के 41 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1350 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 703 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 08 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

आबकारी टीम व थाना मधुबन पुलिस द्वारा अनुमन्य देशी शराब बिक्री करने वाले 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 47 पेटी व 35 (पाउच) पऊआ, कुल 2150 पाउच (पऊआ) नाजायज बंटी बबली, मालमुकदमाती 3500 रुपया बरामद

थाना मधुबन व आबकारी टीम द्वारा दिनांक 31.05.2026 को निरीक्षण दौरान देशी मदिरा दुकान राजू चौक (नुरुल्लाहपुर) से विक्रेता अभिषेक सिंह पुत्र चन्द्रशेखर सिंह नि0 मोलिया पो0 खजुराफुलाइच थाना मेहनगर जनपद आजमगढ को अनुमन्य बिक्री करने पर _समय करीब 00.15 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर बजाफ्ता

बकायता हिरासत पुलिस में लिया गया। फर्द बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/2026 अन्तर्गत धारा 60,64,68 Ex.Act व 318(2),318(4) बीएनएस बनाम 1.देशी मदिरा दुकान राजू चौक (नुरुल्लाहपुर) के अनुज्ञापी शशिविन्द सिंह पुत्र रामकिशुन सिंह नि0 मोलिया पो0 खजुराफुलाइच थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 2.विक्रेता अभिषेक सिंह पुत्र चन्द्रशेखर सिंह नि0 मोलिया पो0 खजुराफुलाइच थाना मेहनगर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया। दौराने गिरफ्तारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को बाद भरवाने जमानत मुचलका थाना हाजा से रूकसत मुहाल किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:–

1. अभिषेक सिंह पुत्र चन्द्रशेखर सिंह नि0 मोलिया पो0 खजुराफुलाइच थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 182/2026 धारा 60,64,68 Ex.Act व 318(2),318(4) बीएनएस

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

देशी मदिरा दुकान राजू चौक (नुरुल्लाहपुर) समय करीब 00.15

बरामदगी का विवरण –

1. बरामदगी 47 पेटी
2. 35 पाउच (पऊआ), कुल 2150 पाउच (पऊआ) नाजायज बंटी बबली,
3. मालमुकदमाती 3500 रुपया

गुमशुदा 01 मोबाइल फोन (कीमत लगभग 14000 रुपये) बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में थाना कोपागंज जनपद मऊ की साइबर पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल पर दर्ज 01 शिकायत का निस्तारण कर तत्काल तकनीकि सहायता आवेदिक सुरेश चौहान निवासी भरथिया कादीपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ के 01 मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित को मोबाइल फोन वापस किया गया। मोबाइल प्राप्त कर लाभार्थियों द्वारा मऊ पुलिस की सराहना की गई।

मोबाइल का विवरण: –

1. मोबाइल वीवो अनुमानित कीमत 14000/-

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा पीड़िता/अपहृता सकुशल बरामद -

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 31.05.2026 को मु0अ0सं0 106/2026 धारा 87,137(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया गया है । आज दिनांक 31.05.2026 को पीड़िता/अपहृता अपने परिजन के साथ थाना हलधरपुर आई है। आज दिनांक 31.05.2026 को पीड़िता/अपहृता को नियमानुसार चिकित्सकीय जांच व आवश्यक परामर्श हेतु जिला चिकित्सालय मऊ व बाद कराने चिकित्सकीय जांच वन स्टाप सेन्टर मऊ भेजा गया। पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है तथा सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का दिनांक व समय –

29.05.2026 समय करीब 02.00 बजे

बरामद पीड़िता/अपहृता समय व स्थान –

आज दिनांक 31.05.2026 को पीड़िता/अपहृता अपने परिजन के साथ थाना हलधरपुर आई है।

पुलिस का संदेश:-

पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स की नीति पर कार्यरत है । आमजन से अपील है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। संपर्क नंबर: 112 या स्थानीय थाना।